

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह परियोजना आपदाग्रस्त से सम्बन्धित है।

Mont

सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

hca

अधिसासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना की सारगर्भित आख्या

विकास खण्ड बागेश्वर तहसील बागेश्वर जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग निर्माण से लगभग 700 की आबादी मोटर मार्ग की सुविधा से लाभान्वित होगी। इस मोटर मार्ग लम्बाई 8.50 किमी० प्रस्तावित है जिससे बोहाला, चनबौड़ी, हन्यूली, कठानी, सिमतोली (मयूँ) मोटर मार्ग की सुविधा से संयोजित होंगे। मोटर मार्ग निर्माण की सुविधा न होने से ग्रामीण ऑचलों से शहरी क्षेत्र को पलायन रोकने में सुविधा होगी। मार्ग निर्माण से ग्राम में उत्पन्न फसल, फलों को उचित बाजार मूल्य मिलेगा तथा उक्त कार्यो को करने हेतु ग्रामवासी अपने आर्थिक विकास हेतु अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे। जिससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा। मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम में अच्छे स्कूल कॉलेजों व अस्पतालों का निर्माण होगा।

AE.
AE. PMGSY
Bageshwar

h
अधिसायी अनियन्ता
सिधार्ड खण्ड जोड निड निड
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर- मोटर मार्ग से सुन्दिल जुनायल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
				4545	0.243	11.11	9.00	0.010
				4548	0.943	61.11	9.00	0.055
				4549	1.120	27.78	9.00	0.025
				287	0.034	22.22	9.00	0.020
				289	0.014	11.11	9.00	0.010
				356	0.036	33.33	9.00	0.030
				332	0.218	48.89	9.00	0.044
				803	0.003	3.33	9.00	0.003
				826	0.046	28.89	9.00	0.026
				829	0.003	3.33	9.00	0.003
				919	0.006	3.33	9.00	0.003
				1162	0.064	37.78	9.00	0.034
				1175	0.005	5.56	9.00	0.005
				1178	0.010	11.11	9.00	0.010
				1180	0.011	5.56	9.00	0.005
				1555	0.015	16.67	9.00	0.015
				1574	0.124	105.56	9.00	0.095
				1580	0.008	8.89	9.00	0.008
				1595	0.019	21.11	9.00	0.019
				1607	0.040	22.22	9.00	0.020
				1614	0.029	11.11	9.00	0.010
				1664	0.031	22.22	9.00	0.020
सिविल एवं सोयम	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	1668	0.043	17.78	9.00	0.016
				1685	0.006	6.67	9.00	0.006
				1657	0.244	88.89	9.00	0.080
				1816	0.111	27.78	9.00	0.025
				7836	0.021	23.33	9.00	0.021
				898	0.009	10.00	9.00	0.009
				164	0.269	11.11	9.00	0.010
				1872	0.084	5.56	9.00	0.005
				333	0.013	2.22	9.00	0.002
				1658	0.030	5.56	9.00	0.005
				1832	0.021	5.56	9.00	0.005
				479	0.018	4.44	9.00	0.004
				5592	2.165	83.33	9.00	0.075
				5594	0.940	70.00	9.00	0.063
				6354	1.876	138.89	9.00	0.125
				6357	0.457	94.44	9.00	0.085
				6337	2.310	155.56	9.00	0.140
				6790	1.070	133.33	9.00	0.120
				8278	1.223	144.44	9.00	0.130
				8279	1.655	138.89	9.00	0.125
				8277	0.895	72.22	9.00	0.065
				8385	0.450	94.44	9.00	0.085
				8515	0.073	22.22	9.00	0.020

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
सिविल एवं सोयम	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	1079	0.016	17.78	9.00	0.016
				1160	0.024	5.56	9.00	0.005
				1297	0.035	16.67	9.00	0.015
				1309	0.061	67.78	9.00	0.061
				1310	0.003	3.33	9.00	0.003
				1311	0.050	5.56	9.00	0.005
				1316	0.029	6.67	9.00	0.006
				1317	0.035	5.56	9.00	0.005
				1412	0.253	33.33	9.00	0.030
				1427	0.006	6.67	9.00	0.006
				1450	0.133	55.56	9.00	0.050
				1518	0.273	61.11	9.00	0.055
				176	0.011	4.44	9.00	0.004
				1318	0.093	5.56	9.00	0.005
कुल योग सिविल सोयम भूमि:-					26.06	3422.22		3.080
वन पंचायत	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	5	2.944	166.67	9.00	0.150
				11	1.331	94.44	9.00	0.085
				37	0.689	188.89	9.00	0.170
				43	1.154	100.00	9.00	0.090
				47	2.688	83.33	9.00	0.075
				48	1.253	150.00	9.00	0.135
				480	1.244	100.00	9.00	0.090
				1870	3.315	61.11	9.00	0.055
				1871	1.070	122.22	9.00	0.110
				1872	0.460	50.00	9.00	0.045
				161	0.121	100.00	9.00	0.090
				7107	0.845	105.56	9.00	0.095
				6194	12.363	166.67	9.00	0.150
				7102	0.029	22.22	9.00	0.020
				6192	3.360	83.33	9.00	0.075
				389	1.193	138.89	9.00	0.125
				390	1.078	66.67	9.00	0.060
				208	0.750	50.00	9.00	0.045
				209	0.270	44.44	9.00	0.040
535	0.746	72.22	9.00	0.065				
कुल योग वनपंचायत भूमि:-					36.903	1966.667		1.770
नाप भूमि	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	233	0.045	46.67	9.00	0.042
				234	0.019	21.11	9.00	0.019
				235	0.033	36.67	9.00	0.033
				236	0.046	51.11	9.00	0.046
				237	0.023	25.56	9.00	0.023
				283	0.020	11.11	9.00	0.010
				284	0.005	5.56	9.00	0.005
				285	0.014	15.56	9.00	0.014
				288	0.005	5.56	9.00	0.005
				477	0.015	11.11	9.00	0.005
				477	0.031	4.44	9.00	0.010
				804	0.004	4.44	9.00	0.004
				805	0.003	3.33	9.00	0.003
				830	0.019	21.11	9.00	0.019
				831	0.010	11.11	9.00	0.010
				832	0.006	6.67	9.00	0.006
				833	0.009	10.00	9.00	0.009
834	0.019	21.11	9.00	0.019				

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आयोजित क्षेत्रफल (हे०)
				8344	1.000	50.00	9.00	0.045
				8346	0.960	61.11	9.00	0.055
				4810	0.003	3.33	9.00	0.003
				4839	0.020	5.56	9.00	0.005
				7101	1.380	55.56	9.00	0.050
				7884	0.031	27.78	9.00	0.025
				7901	0.940	105.56	9.00	0.095
				5668	0.063	38.89	9.00	0.035
				7921	0.008	8.89	9.00	0.008
				7923	0.024	26.67	9.00	0.024
				7927	0.019	21.11	9.00	0.019
				8276	0.160	66.67	9.00	0.060
				8380	0.156	66.67	9.00	0.060
				8381	0.148	38.89	9.00	0.035
				6191	0.153	11.11	9.00	0.010
				5652	0.038	5.56	9.00	0.005
				5595	0.075	5.56	9.00	0.005
				7103	0.034	5.56	9.00	0.005
				5591	0.030	5.56	9.00	0.005
				8516	0.089	5.56	9.00	0.005
				8333	0.030	4.44	9.00	0.004
				5593	0.040	4.44	9.00	0.004
				7954	0.046	2.22	9.00	0.002
				515	0.008	8.89	9.00	0.008
				530	0.009	10.00	9.00	0.009
सिविल एवं सोयम	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	545	0.019	11.11	9.00	0.010
				694	0.018	2.22	9.00	0.002
				993	0.014	15.56	9.00	0.014
				1062	0.081	4.44	9.00	0.004
				1063	0.104	27.78	9.00	0.025
				1074	0.008	8.89	9.00	0.008
				1078	0.063	5.56	9.00	0.005
				1024	0.025	27.78	9.00	0.025
				1026	0.192	50.00	9.00	0.045
				1027	0.193	44.44	9.00	0.040
				1097	0.011	4.44	9.00	0.004
				1139	0.043	25.56	9.00	0.023
				1156	0.063	31.11	9.00	0.028
				1159	0.046	44.44	9.00	0.040
				1061	0.008	3.33	9.00	0.003
				1109	0.025	4.44	9.00	0.004
				1163	0.050	5.56	9.00	0.005
				1118	0.003	1.11	9.00	0.001
				1092	0.018	4.44	9.00	0.004
				140	0.063	11.11	9.00	0.010
				142	0.034	33.33	9.00	0.030
				148	0.010	11.11	9.00	0.010
				163	0.453	55.56	9.00	0.050
				427	0.685	66.67	9.00	0.060
				498	0.218	50.00	9.00	0.045
				845	0.100	27.78	9.00	0.025
				853	0.010	11.11	9.00	0.010
				868	0.009	10.00	9.00	0.009
				736	0.003	3.33	9.00	0.003

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
				1151	0.009	10.00	9.00	0.009
				1152	0.028	5.56	9.00	0.005
				1153	0.029	22.22	9.00	0.020
				1154	0.005	5.56	9.00	0.005
				1155	0.020	22.22	9.00	0.020
				1156	0.013	14.44	9.00	0.013
				1157	0.008	8.89	9.00	0.008
				1158	0.013	11.11	9.00	0.010
				1160	0.020	11.11	9.00	0.010
				1177	0.008	8.89	9.00	0.008
				1682	0.005	5.56	9.00	0.005
				1683	0.005	5.56	9.00	0.005
				1684	0.010	11.11	9.00	0.010
				1687	0.013	14.44	9.00	0.013
				1833	0.002	2.22	9.00	0.002
				354	0.031	34.44	9.00	0.031
				355	0.018	20.00	9.00	0.018
				357	0.015	5.56	9.00	0.005
				359	0.009	5.56	9.00	0.005
				828	0.008	5.56	9.00	0.005
				893	0.021	5.56	9.00	0.005
				894	0.005	5.56	9.00	0.005
				895	0.024	11.11	9.00	0.010
				896	0.005	5.56	9.00	0.005
				897	0.011	5.56	9.00	0.005
				899	0.015	16.67	9.00	0.015
				900	0.004	4.44	9.00	0.004
				902	0.009	10.00	9.00	0.009
				903	0.016	17.78	9.00	0.016
				904	0.005	5.56	9.00	0.005
				1185	0.021	11.11	9.00	0.010
				1188	0.009	10.00	9.00	0.009
				1189	0.020	22.22	9.00	0.020
				1190	0.016	11.11	9.00	0.010
				1445	0.018	11.11	9.00	0.010
				1446	0.015	16.67	9.00	0.015
				1447	0.006	6.67	9.00	0.006
				1448	0.005	5.56	9.00	0.005
				1449	0.020	22.22	9.00	0.020
				1452	0.010	11.11	9.00	0.010
				1453	0.014	11.11	9.00	0.010
				1456	0.015	11.11	9.00	0.010
				1457	0.035	38.89	9.00	0.035
				1458	0.023	22.22	9.00	0.020
				1462	0.009	10.00	9.00	0.009
				1556	0.014	15.56	9.00	0.014
				1557	0.018	11.11	9.00	0.010
				1558	0.010	5.56	9.00	0.005
				1559	0.013	14.44	9.00	0.013
				1579	0.019	21.11	9.00	0.019
				1581	0.011	12.22	9.00	0.011
				1582	0.019	21.11	9.00	0.019
				1583	0.005	2.22	9.00	0.002
				1602	0.009	2.22	9.00	0.002

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवंटित क्षेत्रफल (हे०)
				1669	0.006	6.67	9.00	0.006
				1672	0.013	5.56	9.00	0.005
				1673	0.019	21.11	9.00	0.019
				1678	0.023	25.56	9.00	0.023
				1679	0.008	8.89	9.00	0.008
				1680	0.015	11.11	9.00	0.010
				1686	0.006	6.67	9.00	0.006
				1867	0.013	14.44	9.00	0.013
				1868	0.004	4.44	9.00	0.004
				1869	0.011	5.56	9.00	0.005
				3835	0.004	4.44	9.00	0.004
				1663	0.011	5.56	9.00	0.005
				1831	0.010	11.11	9.00	0.010
				5647	0.014	5.56	9.00	0.005
				5648	0.016	17.78	9.00	0.016
				5649	0.013	14.44	9.00	0.013
				7924	0.010	11.11	9.00	0.010
				7925	0.004	4.44	9.00	0.004
				7926	0.006	6.67	9.00	0.006
				7892	0.015	16.67	9.00	0.015
				7893	0.004	4.44	9.00	0.004
				7895	0.009	10.00	9.00	0.009
				7896	0.003	3.33	9.00	0.003
				7897	0.015	16.67	9.00	0.015
				7876	0.025	5.56	9.00	0.005
				7877	0.011	12.22	9.00	0.011
				7878	0.011	12.22	9.00	0.011
				7879	0.014	4.44	9.00	0.004
				7880	0.014	15.56	9.00	0.014
				7881	0.006	6.67	9.00	0.006
				7882	0.005	2.22	9.00	0.002
				7919	0.010	11.11	9.00	0.010
				7920	0.004	4.44	9.00	0.004
				7922	0.016	17.78	9.00	0.016
				4811	0.028	31.11	9.00	0.028
				4840	0.015	11.11	9.00	0.010
				4841	0.014	15.56	9.00	0.014
				4842	0.004	4.44	9.00	0.004
				5669	0.040	27.78	9.00	0.025
				6193	0.054	22.22	9.00	0.020
				4812	0.004	4.44	9.00	0.004
				7885	0.016	17.78	9.00	0.016
				7886	0.040	33.33	9.00	0.030
				6190	0.013	8.89	9.00	0.008
				8345	0.004	4.44	9.00	0.004
				8376	0.010	11.11	9.00	0.010
				8377	0.009	10.00	9.00	0.009
				8378	0.003	3.33	9.00	0.003
				8379	0.006	6.67	9.00	0.006
				8506	0.126	5.56	9.00	0.005
				8507	0.135	46.67	9.00	0.042
				8508	0.031	11.11	9.00	0.010
				8512	0.129	33.33	9.00	0.030
				8513	0.119	38.89	9.00	0.035

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आयोजित क्षेत्रफल (हे०)
				8514	0.096	11.11	9.00	0.010
				533	0.025	22.22	9.00	0.020
				539	0.018	20.00	9.00	0.018
				540	0.019	11.11	9.00	0.010
				990	0.024	11.11	9.00	0.010
				996	0.019	5.56	9.00	0.005
				1033	0.016	17.78	9.00	0.016
				1034	0.006	6.67	9.00	0.006
				1035	0.005	5.56	9.00	0.005
				1036	0.034	37.78	9.00	0.034
				1072	0.015	13.33	9.00	0.012
				1073	0.011	12.22	9.00	0.011
				1075	0.034	22.22	9.00	0.020
				1076	0.010	2.22	9.00	0.002
				1023	0.011	5.56	9.00	0.005
				1025	0.013	14.44	9.00	0.013
				1093	0.033	36.67	9.00	0.033
				1094	0.004	4.44	9.00	0.004
				1096	0.005	5.56	9.00	0.005
				1117	0.014	15.56	9.00	0.014
				1120	0.020	5.56	9.00	0.005
				1136	0.011	12.22	9.00	0.011
				1137	0.004	2.22	9.00	0.002
नाप भूमि	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	546	0.015	6.67	9.00	0.006
				547	0.011	4.44	9.00	0.004
				516	0.025	16.67	9.00	0.015
				524	0.011	5.56	9.00	0.005
				525	0.024	16.67	9.00	0.015
				526	0.009	10.00	9.00	0.009
				527	0.019	11.11	9.00	0.010
				528	0.019	21.11	9.00	0.019
				529	0.010	11.11	9.00	0.010
				531	0.009	2.22	9.00	0.002
				532	0.014	15.56	9.00	0.014
				538	0.011	12.22	9.00	0.011
				541	0.004	4.44	9.00	0.004
				542	0.004	2.22	9.00	0.002
				543	0.009	5.56	9.00	0.005
				1151	0.008	8.89	9.00	0.008
				1152	0.011	12.22	9.00	0.011
				1157	0.011	12.22	9.00	0.011
				1158	0.008	4.44	9.00	0.004
				1135	0.013	11.11	9.00	0.010
				994	0.006	6.67	9.00	0.006
				995	0.004	4.44	9.00	0.004
				1049	0.009	6.67	9.00	0.006
				1050	0.020	22.22	9.00	0.020
				1051	0.016	17.78	9.00	0.016
				1052	0.005	5.56	9.00	0.005
				1053	0.009	1.11	9.00	0.001
				860	0.010	11.11	9.00	0.010
				861	0.006	6.67	9.00	0.006
				862	0.006	6.67	9.00	0.006
				863	0.005	5.56	9.00	0.005

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० मं)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
				865	0.013	3.33	9.00	0.003
				871	0.021	23.33	9.00	0.021
				874	0.016	5.56	9.00	0.005
				744	0.005	2.22	9.00	0.002
				745	0.020	6.67	9.00	0.006
				746	0.005	5.56	9.00	0.005
				747	0.006	6.67	9.00	0.006
				748	0.026	28.89	9.00	0.026
				1080	0.018	20.00	9.00	0.018
				1101	0.018	2.22	9.00	0.002
				1428	0.013	14.44	9.00	0.013
				1429	0.008	8.89	9.00	0.008
				1508	0.018	5.56	9.00	0.005
				1509	0.025	22.22	9.00	0.020
				1510	0.005	5.56	9.00	0.005
				1511	0.014	5.56	9.00	0.005
				856	0.013	14.44	9.00	0.013
				857	0.008	8.89	9.00	0.008
				859	0.034	22.22	9.00	0.020
				876	0.023	11.11	9.00	0.010
				1156	0.015	16.67	9.00	0.015
				1157	0.005	5.56	9.00	0.005
				1158	0.001	1.11	9.00	0.001
				1159	0.006	6.67	9.00	0.006
				1161	0.014	11.11	9.00	0.010
				1511	0.014	5.56	9.00	0.005
				1516	0.015	11.11	9.00	0.010
				1517	0.031	34.44	9.00	0.031
				735	0.021	22.22	9.00	0.020
				1103	0.008	8.89	9.00	0.008
				1418	0.008	5.56	9.00	0.005
				1419	0.020	22.22	9.00	0.020
				1430	0.036	40.00	9.00	0.036
				1431	0.026	11.11	9.00	0.010
				849	0.014	2.22	9.00	0.002
				850	0.009	10.00	9.00	0.009
				851	0.008	8.89	9.00	0.008
				852	0.004	4.44	9.00	0.004
				867	0.020	2.22	9.00	0.002
				881	0.019	5.56	9.00	0.005
				742	0.030	33.33	9.00	0.030
				743	0.015	16.67	9.00	0.015
				1100	0.018	2.22	9.00	0.002
				1151	0.003	3.33	9.00	0.003
				1152	0.014	15.56	9.00	0.014
				1153	0.023	4.44	9.00	0.004
				872	0.024	26.67	9.00	0.024
				873	0.010	11.11	9.00	0.010
				1082	0.004	4.44	9.00	0.004
				1083	0.011	8.89	9.00	0.008
				1109	0.011	12.22	9.00	0.011
				1426	0.010	11.11	9.00	0.010
				1105	0.019	21.11	9.00	0.019
				1125	0.005	5.56	9.00	0.005

प्रारूप-16

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	0.00	9.00	0.00
2	सिविल सोयम भूमि	3422.00	9.00	3.080
3	वन पंचायत भूमि	1967.00	0.00	1.770
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)			
	वन भूमि का योग	5389.00	9.00	4.850
5	नाप भूमि	3111.00	9.00	2.800
	कुल योग-	8500.00	9.00	7.650

अधिसूचना
सि.प्रयोक्ता एजेन्सी वि०
बागेश्वर



बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग लम्बाई 8.50 किमी० के निर्माण में प्रभावित होने वाली 4.85 हे० वनभूमि है सिविल सोयम बढियाकोट की भूमि में वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूरक बनीकरण आगणन।

कार्य का नाम- जनपद बागेश्वर में पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग लम्बाई 8.50 किमी०।

2- पौधारोपण स्थल का नाम- सिविल सोयम भूमि ग्राम-बढियाकोट, कपकोट रेन्ज

3 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 9700 पौधे

4- रोपित की जाने वाली प्रजाति- बांज, फल्यांट, उतीस, क्वैराल आदि।

क्र० सं०	कार्य का नाम	संख्या	नपत			मात्रा	दर प्रति	घनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष सर्वे कार्य							
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण मय सीमांकन	4.850	-	-	-	4.850	97.00	470.45
2	अग्रिम दीवालबन्दी (फ़ैन्सिंग) प्रति हे० 84घ०मी० औसतन	4.850	-	-	-	83.00	315.00	26145
3	गड़ढा खुदान कार्य	9700	0.30	0.30	0.45	9700	7.33	71101
4	गड़ढा भरान कार्य	9700	-	-	-	9700	1.15	11155
5	पौधों का रोपण	9700	-	-	-	9700	2.06	19982
6	पौधे डूलान कार्य 8 किमी०	9700	-	-	-	9700	6.39	61983
7	पौधों की कीमत	9700	-	-	-	9700	7.04	68288
8	पौधों की निराई गुड़ाई वर्ष 2 बार	9700	-	-	-	9700	0.76	7372
9	पौधों की देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष 8 मां० (अगस्त से मार्च तक)	4.850	8 मां०	-	-	-	4768.00	23124.80
10	साईन बोर्ड बनाना, लिखना आदि	1	LS	-	-	LS	700.00	700.00
	प्रथम वर्ष का योग							290321.25
2	द्वितीय वर्ष देखरेख व रखरखाव आदि 12 मां० (कम से कम 10 हे०)	4.850	12 मां०			दर रू० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०		34687.2
	द्वितीय वर्ष का योग							34687.2
3	तृतीय वर्ष देखरेख व रखरखाव आदि 12 मां० (कम से कम 10 हे०)	4.850	12 मां०			दर रू० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०		34687.2
	तृतीय वर्ष का योग							34687.2
4	चतुर्थ वर्ष देखरेख व रखरखाव आदि 12 मां० (कम से कम 10 हे०)	4.850	12 मां०			दर रू० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०		34687.2
	चतुर्थ वर्ष का योग							34687.2
5	पंचम वर्ष देखरेख व रखरखाव आदि 12 मां० (कम से कम 10 हे०)	4.850	12 मां०			दर रू० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०		34687.2
	पंचम वर्ष का योग							34687.2
	छठे वर्ष से 10वें वर्ष तक का रखरखाव व्यय	4.850	60 मां०			दर रू० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०		173436
								173436
	योग:-							602506.05
	कुल योग:-							602507.00

(रू० छः लाख दो हजार पाँच सौ सात मात्र)

Mont
AE

हस्ताक्षर
उपनिवेशी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड जो० सि० पि०
बागेश्वर

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

10 वषीय क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आने वाले व्यय वहन प्रमाण पत्र

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।	सहायक अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।	अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।
--	---	---

प्रारूप-35

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।


Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।


 प्रयोक्ता एजेन्सी का
 सि.वा.उ. ११० नि.० वि.०
 बागेश्वर

प्रारूप-36

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर वा भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।


प्रयोक्ता एजेन्सी
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


(प्रयोक्ता एजेन्सी)
सिंधी एजेंसी लि.
बनारस

प्रारूप-38

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अप्रयोक्ता एजेन्सी
सिन्हाई एण्ड लॉ लिडिंग
बागेश्वर

प्रारूप-39

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

hza
 प्रयोक्ता एजेन्सी
 बागेश्वर

2-31
प्रारूप-40

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतौली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	कठानी	134
2	बोसबा	105
3	हड़पोली	151
4	शिमावेली	310
योग:-		700


प्रयोक्ता एजेन्सी-10 दि०
सिंचाई विभाग बागेश्वर



प्रारूप-51

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


प्रयोक्ता एजेन्सी
सिवाइ कमिटी नो. वि०
बागेश्वर

